मुन्तकिली प्रकरण सं0२2/2015 अनवानी 1–विमलादेवी पत्नि अमरजीत सिंह 2–जसविन्द्रपालसिंह पुत्र अमरजीत सिंह 3–कुलविन्द्रसिंह पुत्र अमरजीतसिंह 4–हरविन्द्रपाल सिंह पुत्र अमरजीतसिंह जाति रामदासियान नि0 1 एसटीआर तह0 घड़साना बनाम 1–वसीर अहमद पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान नि0 सतराना तह0 घड़साना 2–तहसीलदार घड़साना 3–उपखण्ड अधिकारी घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>28.06.2016</u>

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 3/2014 अनवानी विमला देवी आदि बनाम वसीर अहमद आदि अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए नि0 02.12.14 पर दर्ज नजरसानी आदेश 47 नियम 01 सीपीसी अनवानी वसीर अहमद बनाम विमला आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1204
1-7-16

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर